

स्वीप प्लान

विधान सभा उप चुनाव 2020

जिला निर्वाचन अधिकारी - खण्डवा

BACKGROUND

1. 2009 में मध्य प्रदेश विधान सभा चुनावों में सूचना शिक्षा और संचार हस्तक्षेप की शुरुआत के साथ SVEEP शुरू हुआ । ECI की IEC पहल को बाद में 2010 में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया था ।
 - . पिछले 3 सालों से SVEEP गतिविधियां समस्त राज्यों में हैं । 2011 में भारतीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश सभी जिलों में इस दिशा के साथ प्रसारित किए गए थे कि मतदाता नामांकन अधिकतम होना चाहिए ।
 - . नवंबर 2012 में व्यवस्थित और संस्थागत कार्य उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें सदस्यों के रूप में भारत सरकार के कार्यालयों के आवश्यक विभाग और सदस्य शामिल किए गए ।
 - . 2012 जिला स्तर SVEEP समितियां गठित की गई थी ।
 - . कार्यक्रम की शुरुआत के बाद 2017 तक राज्य विधान सभा के 36 चुनाव और आम चुनाव 2014 हुए हैं ।
 - . SVEEP का दूसरा चरण SVEEP -2 को 2013 से समाप्त किया गया ।
 - . SVEEP 3 प्राजेक्ट दस्तावेज अगले पांच वर्षों 2016–2020 के लिए SVEEP रणनीति प्रस्तुत करता है ।

SVEEP Mission

Increase electoral participation through voter registration and turnout

मतदाता सूची को मतदान के द्वारा निर्वाचन सभा के दाम में वृद्धि करना

increase qualitative participation in terms of ethical and informed voting

नैतिक और सूचित मतदान के संदर्भ में गुणात्मक रूप में वृद्धि करना

provide continuous electoral and democracy education

लगातार निर्वाचन तथा लोकतंत्र की शिक्षा प्रदान करना

SVEEP Tools IMF

Information

जानकारी

Motivition

प्रेरणा

Facilitation

सुगमता

SVEEP Achievements Assembly Election khandwa District

विधान सभा चुनाव 2018 के लिए टर्नआउट का रिकार्ड उच्च है ।

175 Mandhata 78.46 % against 73.95% in 2013

SVEEP overall objectives

A-कम मतदान केंद्र वाले मतदान केंद्र को चिन्हित कर उनके मतदान में वृद्धि और पूर्व के विधानसभा चुनावों के मतदान प्रतिशत में की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना

B-नामांकन करो मतदान में लिंग भेद अंतर कम करना

C-मतदाता सूची में छूटे हुए समूह और समुदायों को पहचान कर उन्हें शामिल करना तथा मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करना करना

D-आपूर्ति पक्ष व नियंत्रण उपायों के साथ सूचित नैतिक और प्रलोभन मुक्त मतदान के मामले में चुनावी भागीदारी की गुणवत्ता में वृद्धि करना

E-सर्विस वोटर और कर्मचारियों को सुविधाजनक और शिक्षित करके डाक मतपत्र में वृद्धि करना

Situation analysis

पिछले चुनाव में सबसे कम मतदान और इसके कारणों के साथ प्रत्येक विधानसभा में 5–10 प्रतिशत पीएस मतदान केंद्र की पहचान करना

पिछले चुनाव में सबसे कम मतदान और उसके कारणों के साथ जिले में कम मतदान वाले केन्द्रों की पहचान करना

पिछले चुनावों और उसके कारणों में सबसे कम मतदान केन्द्रों की पहचान

पिछले चुनाव और उसके कारणों में सबसे कम मतदान के साथ विधानसभा की पहचान करना

मतदान में गिरावट के कारण की पहचान करना

प्रत्येक मतदान केंद्र पर बहिष्कृत समूहों / समुदायों की पहचान करना

primary target groups

1-women

2-youth

3-person with disabilities

4-Service voters

5-Migrant

key issue women

ऐसी महिलाएं जो जनजाति समूह की होकर पलायन कर गई हैं और ऐसे इलाकों में निवास कर रही हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है ऐसी महिला समूह को केंद्र बिंदु बनाकर उस पर कार्य करना

सोशल मीडिया के उपयोग में महिलाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती हैं संचालन नीतियों को डिजाइन करते समय इससे ध्यान में रखना चाहिए

महिलाओं के बीच राजनीतिक और चुनावी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है पंजीकरण और मतदान के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न सुविधाजनक रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है

action points women

चुनाव के दौरान तैनात बीएलओ और सुरक्षाकर्मियों सहित चुनाव अधिकारियों को लिंग भेद के प्रति अधिक संवेदनशील रहना चाहिए

आशा कार्यकर्ता / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम पर रहते हुये प्रशिक्षकों को सुविधा कारों का प्रशिक्षण दिलाया जाए

बी ए जी एस के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्य बनाया जा सकता है

महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सहयोग कर चुनावी शिक्षा को मतदान के चित्र तक पहुंचाना

महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिलाओं के साथ काम कर रहे ऐसे बी ए जी और सहकारी समितियों की पहचान कर उनके माध्यम से प्रचार.प्रसार करें

key issue youth

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में प्रवासियों स्कूल छोड़ने वाले श्रमिक और अन्य कमजोर वर्ग के मतदाताओं के पास पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं

ऐसे महत्वपूर्ण युवा जो मीडिया के पहुंच में नहीं है एवं रेडियो की खोज भी कम है

शहरी युवाओं के बीच चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिनिधियों को राजनीतिक दलों के घोषणापत्र और उनके क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर उदासीनता एवं जानकारी के प्रति सजग ना होना

आयोग के व्हाट्सएप ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया को भी कम दृश्यता होना

action points youth

चुनावी साक्षरता सामग्री युवाओं को लक्ष्य पर बनाई जाए

NCC NSS NKYS द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ चुनावी साक्षरता के कार्यक्रम को भी सम्मिलित करें ऐसे युवा जो शैक्षणिक संस्थाओं से बाहर हैं और उन युवाओं तक पहुंचने के लिए प्रयासों सामाजिक और डिजिटल मीडिया का उपयोग करने हेतु युवाओं को अन्य विकल्पों कैसे जोड़ना चाहिए जैसे व्हाट्सएप मोबाइल एप्स फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ईमेल इत्यादि

अधिकतम युवाओं को चुनाव से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए

key issue PWD

दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के संबंध में चुनावी मशीनरी के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है

मतदान केंद्रों को अक्षय मतदाताओं के लिए तलब किया जाना है

महत्वपूर्ण कार्य में दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित कर पहचान कर उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाए

वोट करने के लिए दिव्यांग मतदाताओं को भी प्रेरित होना चाहिए

दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाए

action point PWD

ECI द्वारा उपलब्ध कराए गए पीडब्ल्यूडी एसके डेटाबेस के आधार पर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की पहचान करना

और दिए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें

सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा मानकों के अनुसार मतदान केंद्रों पर स्पर्श संकेत ब्रेल और अन्य गैर

विचारणीय शिक्षकों का उपयोग

सभी मतदान केंद्र पर रैम और उनके मानकीकरण की सुनिश्चित किए जाएंगे

शौचालय और व्हीलचेयर की उपलब्धता मतदान दिवस के दिन प्रदान करने की व्यवस्था की जावे।

Key Issue service voter

अतीत में यह पाया गया है कि सेवा मतदाताओं को भेजे गए डाक मतपत्रों को बड़ी संख्या में वितरित किए बिना वापस कर दिया जाता है डाक मतपत्र व्यवस्था सुदृढ बनाए जाए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और डेटाबेस अपडेट करने के लिए आईटी एक्स पर्टलोगों का पता लगाया जा रहा है

action point servicevoter

सेवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर और अभियान के बारे में शिक्षा दी जाए

Sveep का संदेश विशेष रूप से सशस्त्र बलों / क्लब मैथ / सेना स्कूलों / रक्षा कर्मियों में प्रचार किया जाना चाहिए यदि

सेवा मतदाताओं रिकॉर्ड कार्यालय में संपर्क विवरण के पूर्व उपलब्ध हो

Key issue migrant

आंतरिक प्रवासन स्थिति चुनाव पंजीकरण और मतदान भागीदारी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है

भारत देश में पलायन प्रायः शिक्षा के लिए शादी के लिए काम के लिए बेहतर काम के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए किया जाता है

प्रवासी अपने मूल स्थान की निर्वाचन सूची में नाम आता है और नए नए स्थान पर मतदाता का मतदाता पहचान पत्र आता है

Action points migrants

मतदान दिवस के पहले मतदाता सूची में अपने नामों की जांच करने के लिए मतदाताओं का संवेदनशील बनना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए

चुनाव दिवस से पूर्व संभव प्रवासियों को जानने के लिए बूथ स्तर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए

चुनाव गतिविधियों के बारे में सोशल नेटवर्किंग साइटों पर वह विज्ञापन जो अस्थायी रूप से आता है रोजगार के लिए प्रवाहित युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हैं

Key issue senior citizen action point senior

चुनावी प्रक्रिया में वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी बनाने के लिए निरंतरता के आधार पर अनुकूल बनना चाहिए चुनाव मशीनरी को उनकी विशेष जरूरतों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर समाज को संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता है

Action point senior citizen

मौजूदा तंत्र के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करना

मतदान में प्राथमिकता सुनिश्चित कर के वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा जहां भी आवश्यकता हो वहां व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए

100 वर्ष या अधिक वृद्ध वरिष्ठ मतदाता की पहचान कर उन्हें मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर अपने मतदान केंद्र के अन्य मतदाताओं एवं स्वयंसेवकों को वरिष्ठ मतदाताओं की सहायता करने के लिए प्रेरित करने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए

Ethical And Informed Voting

- विभिन्न राजनैतिक पार्टियां और अभ्यर्थियों को मतदान से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े विभिन्न प्रकार प्रारूपों में उपलब्ध कराये जाये जिसे समझ कर उसका विश्लेषण कर सकें ।
- मतदाता को पैसे / शराब आदि जैसे प्रभाव के बिना मतदान कराने के लिए जागरूक कराना।
- नियमों, विनियामको और MCC (आदर्श आचार संहिता) के प्रवर्तन द्वारा आत्मविश्वास को माहौल का निर्माण कराना ।
- चुनाव में व्यय , वोट खरीदने और भुगतान जैसे समाचार को समय के साथ समाचार पत्रों को उपलब्ध कराकर प्रसारित किया जाये,जो मतदाता के मतदान को प्रभावित करते हैं।

Action Points for Facilitation in Voting

- प्रत्येक मतदान केंद्र के आवश्यक न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- Google मानचित्र पर मतदान केंद्र (PS) स्थान-उपलब्ध और कार्यात्मक और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए।
- मतदाता पर्ची - सभी मतदाताओं को समय पर वितरित हो।
- सभी संभावित मीडिया जैसे SMS, ईमेल,केबल टीवी क्लिप्स, के माध्यम से पुनः स्मरण सेवाएं सुनिश्चित करें।
- जिले की हेल्पलाइन को कार्यात्मक और उत्तरदायी बनाना सुनिश्चित करे।
- रेल्वे स्टेशन उदघोसक के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

Helping Hands

- **BAG (Booth Awarness Group)**
- **ELC (Election Literacy Club)**
- **VAF (Voter's Awarness Foram)**
- **Chunav Pathshala**
- **MSK (matdata sahayta Kendra**
- **CA (Campus Ambassador)**
- **Sweep Icons**
- **NCC / NSS / NYK**
- **Media**
- **Social Media**

“स्वीप के कार्य व गतिविधियां”

जिले कि माधांता विधानसभा में आगामी उपचुनाव के तहत स्वीप की नियमित व व्यवस्थित गतिविधियां संचालित हेतु निम्न विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों को नियमानुसार कार्य एवं गतिविधियां समय सीमा के पूर्ण कर उसका विधिवत फोल्डर फोटोग्राफ्स युक्त बनाकर विधानसभावार रखा जाये तथा उसमें से चयनित फोटोग्राफ्स व गतिविधियां जिले के निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियाँ
01	<u>अनुविभागीय अधिकारी</u> <u>चारों विधानसभा (आर .ओ.)</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blook स्तरीय शिव कमेटी का गठन कर उसे एक्टिव करना तथा महिला सदस्य को जोड़ा जावे। 2. BAG / कंप्यूनिकेशन प्लान की समितियों का गठन कर उनसे जुड़े जमीनी कर्मचारी की बैठक लेकर उनके साथ स्वीप की गतिविधियों का प्लान बनाना तथा उसका क्रियान्वयन कराना। 3. विधानसभा के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र की पहुंच से सुगम तक केंद्र पर आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। 4. वोटर अवेयरनेस फोरम (व्ही. ए .एफ.) का सामाजिक क्लबों के सदस्यों को लेकर गठन करना तथा उन के माध्यम से मतदाता जागरूक अभियान चलाना। 5. ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर की सहायता से विधानसभा के प्रत्येक मतदान केंद्र पर ई .व्ही.एम.व्ही. व्ही.पैट का प्रभावी प्रदर्शन किया जाना व साथ ही सहभागिता करने वाले मतदाताओं की उपस्थिति की पंजी संधारित किया जाना। 6. पी.डब्लू. डी. मतदाताओं को मतदान केंद्र में रेम्प, व्हील चेयर व अन्य आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना। 7. अन्य ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों में ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्य विभाजन कर वोटर टर्नआउट में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करना। विधानसभा में कम मतदान व बहिष्कार करने वाले ग्रामों को चिह्नंकित कर विशेष अभियान चलाये। 8. विधानसभा में स्वीप की गतिविधियों के फोटोग्राफ्स तथा प्रतिवेदन का विधानसभावार /मतदान केंद्रवार फोल्डर सुरक्षित रखना तथा आवश्यकता अनुरूप जिला निर्वाचन कार्यालय खंडवा को भेजना सुनिश्चित करें। 9. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना ।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
02	<u>समस्त मुख्य</u> <u>कार्यपालन</u> <u>अधिकारी</u> <u>जनपद पंचायत</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत स्तर पर बूथ स्तर पर सचिव / ग्राम रोजगार सहायक को BAG के सदस्य के रूप में नामांकित करें। 2. ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल / चुनावी पाठशाला / फलोर गेम की गतिविधियां मतदान केंद्र पर आयोजित करावाई जाये तथा विधिवत पंजी संधारित की जावे । 3. प्रत्येक ग्राम में पूर्व में गठित भजन मंडलीया / नर्मदा सेवा समिति की सहायता से ग्रामों में भजनों के द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जावे। 4. अपने जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे मतदान केंद्र जहां पूर्व में विधानसभा चुनाव में मतदान कम हुआ / बहिष्कार हुआ हो , उन्हें चिह्नांकित कर उन मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चला कर मतदाताओं को जागरूक किया जावे। 5. मतदावार स्थानिय पंचायत कर्मियों की सहायता से ऐसे मतदाताओं की सूची बनाई जावे जो किसी कारणवश अपने निवास स्थान से वर्तमान में बाहर है उनसे संपर्क कर उन्हें मत देने हेतु प्रेरित किया जावे। 6. अपने जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त पंचायतों तथा आपके कार्यालयों में अनिवार्यतः मतदाता जागरूकता के फ्लेक्स लगाए जावे। सभी पत्राचार में मतदाता जागरूकता स्लोगन लिखना

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
03	आयुक्त नगर निगम खंडवा	<ol style="list-style-type: none"> 1. संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सार्वजनिक व प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाकर लगवाना तथा एक डिस्प्ले बोर्ड पर मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन नारे ऑडियो वीडियो क्लिप्स का प्रसारण कराना। 2. नगर निगम में संचालित कचरा संग्रहण वाहनों पर अन्य वाहनों में भी ऑडियो क्लिप जिंगल्स संबंधित नारों का प्रसारण सुनिश्चित किया जाना। 3. वार्डवार ऐसे मतदाताओं की सूची व उनके संपर्क नंबर प्राप्त किया जाना जो किसी कारणवश अपने निवास से बाहर है। मेन टू मेन की मार्किंग सुनिश्चित किया जाना। 4. शहरी क्षेत्रों में पाश कॉलोनीया / सिविल लाईन एरिया व ऐसे वार्ड के मतदान केंद्र जहां पर 50% से कम मतदान हुआ है वहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना। 5. स्वीप पार्टनर के नाते जिला स्तरीय स्वीप कमेटी द्वारा आयोजित किये जाने वाली विशेष गतिविधियों में सहयोग प्रदान कर गतिविधियों के संचालन में महती भूमिका अदा कराना। 6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय -समय पर सौपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
04	समस्त मुख्य नगर पालिका पंचायत अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> 1. संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सार्वजनिक व प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग लगाकर लगवाना तथा एक डिस्प्ले बोर्ड पर मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन नारे ऑडियो वीडियो क्लिप्स का प्रसारण कराना। 2. नगर पंचायत में संचालित या लगे हुए अन्य वाहनों में भी ऑडियो जिंगल्स तथा जागरूकता संबंधित नारों का प्रसारण सुनिश्चित किया जाना। 3. वार्डवार ऐसे मतदाताओं की सूची व उनके संपर्क नंबर प्राप्त किया जाना जो किसी कारणवश अपने निवास से बाहर है। मेन टू मेन की मार्किंग सुनिश्चित किया जाना। 4. नगर पंचायत में पाश कॉलोनीया / सिविल लाईन एरिया व ऐसे वार्ड के मतदान केंद्र जहां पर 50% से कम मतदान हुआ है वहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना। 5. स्वीप पार्टनर के नाते विधानसभा स्तरीय स्वीप कमेटी द्वारा आयोजित किये जाने वाली विशेष गतिविधियों में सहयोग प्रदान कर गतिविधियों के संचालन में महती भूमिका अदा कराना। 6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय -समय पर सौपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
05	जिला शिक्षा अधिकारी	<p>1 स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी के रूप में स्वीप की समस्त गतिविधियों का पूरे जिले की चारों विधानसभा में प्रभावी संचालन कर पूर्व के विधानसभा चुनाव में 10% अधिक वोटर टर्नआउट करने हेतु प्रभावी योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाना।</p> <p>2 प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में ई.एल.सी.का गठन तथा उसके माध्यम से उस क्षेत्र में व्हाटसप ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से मतदान केंद्रों पर मतदान जागरूकता अभियान चलाना</p> <p>3 अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों की 100% वोटिंग करने हेतु पत्र जारी किया जाना।</p> <p>4. मतदाताओं के लिए अपील जारी कराने करना।</p> <p>5. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय -समय पर सौपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।</p>

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
06	आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जिला परियोजना समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान	<ol style="list-style-type: none"> 1 विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले माधांता क्षेत्र के छात्रावास व स्थानीय भाषा और बोली में फ्लेक्स लगाकर स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराना । 2 महाविद्यालयों में गठित ई.एल.सी. कैंपस एंबेसडर व उनके प्रभारी के साथ व्हाटसप ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से कैंपस में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न गतिविधियां कैंपस में आयोजित कराना तथा उनकी मास्ट्रिंग करना। 3 जिले के समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों के डाक मतपत्र शत-प्रतिशत डाले जावे इसकी पूर्ण तैयारी चुनाव प्रशिक्षण सत्रों में ही पूर्ण कर ली जावे। 4 छात्रावासों में रह रहे बच्चे जो मतदाता है उन्हें मतदान दिवस के दिन अपने ग्रह नगर में मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान करने हेतु अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करें। 5 स्कूलों में बने हुए मतदान केंद्रों में रैम टॉयलेट की मरम्मत विद्युतीकरण व परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित किया जाये। 6 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय -समय पर सौपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां

07	उपसंचालक सामाजिक कल्याण एवं न्याय विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. दिव्यांग से जुड़ी हुई सामाजिक संस्थाओं की बैठक आयोजित कर मतदाताओं से जुड़ी हुई दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने एवं मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में चर्चा कर मतदान हेतु प्रेरित कराना तथा बूथ दूत बनाए जाए। 2. पी.डब्ल्यू.डी.दिव्यांग मतदाताओं में से एक दिव्यांग आइकॉन बना बनाया जाना तथा उसके सहयोग से दिव्यांग मतदाताओं के मध्य जागरूक अभियान चलाया जाना। 3. प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर रैंप वह घर - घर से मतदान केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 4. दिव्यांग कर्मचारी की स्वेच्छा से आधार पर विधानसभावार मतदान केंद्रों पर दिव्यांग कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर पूरा मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित किया जाये। (यदि संभव हो) 5. पी.डब्ल्यू.डी.आइकन के सहयोग से जागरूकता अभियान की गतिविधियां संचालित कर उनके वीडियो बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी को सौपना। 6 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना ।
----	---	---

क्रमांक	अधिकारी /	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
---------	-----------	--

	विभाग प्रमुख	
08	मुख्यचिकित्सा अधिकारी खंडचिकित्सा अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> 1 अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय व चिकित्सालयों में फ्लेक्स बेनर लगाकर मतदान मतदाता जागरूकता अभियान चलाये तथा साथ ही विकास खण्ड स्तर के कार्यालय एवं चिकित्सालयों में माह के एक या दो दिन EVM and VVPAT का प्रदर्शन । 2 आशा कार्यकर्ता ,आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर BAG के सदस्यों के साथ जुड़कर घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें तथा उन्हें मतदान हेतु आमंत्रण देवे। 3 पंचायत स्तर पर चुनावी पाठशाला में भी उस क्षेत्र के ए. एन. एस. /आशा कार्यकर्ता मतदान जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करें। 4 क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं दात्री महिलाओं का चिन्हानकन मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र तक पहुंचाने हेतु सहायता प्रदान कराना। 5 चिकित्सालयों की ओ.पी.डी.पर्ची में मतदान स्लोगन आवश्यक रूप से अंकित किया जाये। 6. चिकित्सालयों में मतदान दिवस के दिन सामान्य बीमारी से भर्ती व्यक्तियों को परिजन /सहयोगी के साथ मतदान केंद्र पर मतदान हेतु भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 7. मुख्य चिकित्सालय अधिकारी संपूर्ण जिले में तथा खंडचिकित्सा अधिकारी अपने विकासखंडों में स्वीप की गतिविधियों का संचालन करें 8. जिला निर्वाचन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे पर गये दायित्व व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
09	महिला बाल विकास अधिकारी परियोजना एकीकृत बाल विकास अधिकारी	<ol style="list-style-type: none">1 अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय व आंगनवाड़ी केंद्रों में फ्लेक्स , बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाये ।2. गर्भवती महिला , दात्री महिलाओं का चिन्हानकन कर मतदान केंद्र तक पहुंचाने में उन्हें सहायता प्रदान करना ।3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका BAG तथा चुनावी पाठशाला के सदस्यों के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र में स्वीप की गतिविधियों का संचालन करना जिला निर्वाचन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी समय-समय पर सौपे गये दायित्वों का समय सीमा में पूर्ण करना4. यदि संभव हो सके तो विधानसभा में एक कम से कम 2 पिन मतदान केंद्र बनाए जावे।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
10	विकास खंड शिक्षा अधिकारी /विकासखंड स्रोत समन्वय	<ol style="list-style-type: none"> 1. ब्लॉक की स्वीप कमेटी में स्वीम समन्वयक / स्वीप मीडिया समन्वयक होने के नाते स्वीप की समस्त गतिविधियों को पंचायत व मतदान केंद्रवार संचालन कर उसका व्यापक रूप से प्रचार - प्रसार कर उसे सोशल मीडिया में देना । 2. अपने विधानसभा के BAG/VAF/Communication Plan के सदस्यों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर उनके माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान का नियमित संचालन किया जाना। 3. स्कूल निरीक्षण के साथ - साथ स्कूलों में गठित ई.एल.सी क्लब की गतिविधियों की समीक्षा करना तथा स्कूल में बने मतदान केंद्रों की अपडेट स्थिति के बारे में रिटर्निंग आफिसर को अवगत कराना। 4 जिला निर्वाचन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे पर गये दायित्व व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियाँ
11	अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम में स्थापित मतदान केंद्रों तक पहुंच मार्ग तथा केंद्र पर आवश्यक व अनिवार्य संसाधन (AMF) उपलब्ध कराना । 2. वन ग्रामों से पलायन करने वाले व्यक्तियों की सूची मतदान केंद्रवार प्राप्त करना तथा मत देने वाले हेतु प्रवासी मतदाताओं को मतदान दिवस से पूर्व बुलाने हेतु संपर्क स्थापित करावे 3. अपने अधीनस्थ कार्यालयों व फॉरेस्ट चौकियों पर फ्लेक्स बैनर लगाना । 4. वन ग्रामों में स्थानीय बोली से प्रचार-प्रसार किया जाना। 5. जिला निर्वाचन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे पर गये दायित्व व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
12	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	<ol style="list-style-type: none">1. अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय व नवीन निर्माण कार्य जहां चल रहे हो वहां पर फ्लेक्स बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाये।2. प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप , टॉयलेट व बाथरूम की मरम्मत व सुधार कार्य को संपूर्ण किया जाना।3. निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों को मतदान दिवस के दिन अपने ग्रह काम में मतदान करने हेतु भेजना सुनिश्चित करें।4 जिला निर्वाचन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे पर गये दायित्व व कार्यो का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
13	कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय व बिल संग्रहण काउंटर पर फ्लेक्स / बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाये। 2. ईलेक्ट्रिक बिलों पर मतदान से संबंधित स्लोगन अनिवार्य अंकित किया जाये। 3. समस्त मतदान केंद्रों पर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 4. ग्रामीण अंचलों में कार्यरत लाइनमैन / हेल्पर द्वारा किसानों व ग्रामीणों से चर्चा कर मतदान हेतु प्रेरित किया जाये। 4 जिला निर्वाचन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे पर गये दायित्व व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
14	<p>प्राचार्य एस.एन.कॉलेज खंडवा /समन्वयक महाविद्यालय</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त शासकीय /अशासकीय एवं तकनीकी / गैर तकनीकी कम से कम एक फ्लेक्स बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाये। 2 कालेजों में गठित ई . एल.सी.की नियमित गतिविधियां व्हाटसप के माध्यम से कैंपस एंबेसेडर के साथ जुड़कर की जावे तथा की गई गतिविधियों का विधिवत रिकॉर्ड भी संधारित किया जाये। 3 कालेजों के एन .सी.सी./एन.एस.एस./ ई.एल.सी. के सदस्यों के साथ जुड़कर विधानसभा में ऐसे स्थानों पर जहां मतदान का प्रतिशत विगत चुनाव में कम था उन क्षेत्रों में स्वीप की प्रभावी गतिविधियों का संचालन किया जावे। 4 ऐसे विद्यार्थी जो छात्रावास में निवास करते हैं या घर से अन्यत्र रहकर अध्ययन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को सूचीबद्ध कर मतदान दिवस के दिन उन्हें अपने गृह निवास भेज कर मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाये। 5 पूर्व निर्धारित स्वीप कैलेंडर के अंतर्गत बताई गई समस्त गतिविधियों को तिथि अनुसार आयोजित कर उसके फोटोग्राफ्स व प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। 6 जिला निर्वाचन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे पर गये दायित्व व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण कराना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
15	रेलवे स्टेशन अधीक्षक खंडवा	<p>1 अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर एक - एक फ्लेक्स बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाये।</p> <p>2 आरक्षित व अनारक्षित टिकटो पर मतदान से संबंधित स्लोगन/नारे अंकित किया जाये ।</p> <p>3 स्टेशनों पर होने वाली उद्घोषणा में समय-समय पर व्ही. व्ही. पैट के बारे में निम्न उद्घोषणा कि जाये। " मतदाता के द्वारा दिए गये मत के सत्यापन हेतु मतदान कक्ष में रखी मशीन (व्ही. व्ही.पैट)की विंडो में 7 सेकंड एक पर्ची दिखाई देंगे उस पर्ची को देखकर आप अपने द्वारा दिए गए मत का सत्यापन करें "</p> <p>4 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वो व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण करना।</p>

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
16	प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक (LDM)	<ol style="list-style-type: none">1 समस्त बैंकों की शाखाओं /ए.टी.एम. में फ्लैक्स बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाये।2 बैंकों में राशि निकासी व जमा पर्ची व अन्य पर्चियों पर मतदान जागरूकता के स्लोगन अंकित किया जाये।3 अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त बैंकों के कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें यह सुनिश्चित करें।4 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये दायित्वो व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण करना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
17	परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	<ol style="list-style-type: none"> 1 एन. आर. एल. एम .की महिलाएं BAG/Communication के साथ जुड़कर मतदाताओं के घर जाकर संपर्क कर उन्हें मतदान हेतु पीले चावल के साथ आमंत्रण पत्र देना सुनिश्चित करें । 2 अपने क्षेत्र में किन स्थानों पर मतदान कम होना है या बहिष्कार होना है इसकी पूर्व सूचना परियोजना अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें । 3 मतदान केंद्रवार एन .आर. एल .एम . के सदस्यों को मतदान करवाने का लक्ष्य निर्धारित कर मतदान कराना सुनिश्चित करें । 4 जिला निर्वाचन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण करना।

क्रमांक	अधिकारी / विभाग प्रमुख	स्वीप के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां
18	संचालक जन अभियान परिषद एवं नेहरू युवा केंद्र)	<p>1 ग्रामों में गठित प्रस्फुटन समिति / नर्मदा सेवा समिति / भजन मंडली द्वारा भजनों के माध्यम से ग्रामों में मतदाता जागरूकता अभियान का संचालन कराये।</p> <p>2 जन अभियान परिसर के बी .एम. डब्ल्यू .के छात्रों को मतदान केंद्रवार टारगेट निर्धारित कर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने व मतांकन करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर उसका क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>3 जिला निर्वाचन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये दायित्वों व कार्यों का समय सीमा में पूर्ण करना।</p>

अन्य सुझाव :-

मतदान से जुड़े अधिकारी /कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित है:-

- 1 जिस मतदान केंद्र पर 100 प्रतिशत मतदान होगा उस केंद्र से संबंधित BAG/Communication Team के सदस्यों को जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जाए। (जबकि उस केंद्र पर कम से कम 500 मतदाता पंजीकृत हो)
- 2 जिस विधानसभा में पूरे विधानसभा का मतदान प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक होगा उस विधानसभा के आर .ओ./ ए. आर .ओ. तथा उस विधानसभा की स्वीप टीम को प। पुरस्कृत किया जाए ।
- 3 विधानसभा के जिन मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत जिले के औसत मतदान प्रतिशत से कम होगा उन केंद्रों पर मतदान के कम होने के कारणों की समीक्षा कर समीक्षा उपरांत मतदान जागरूकता में लगे कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ।